रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED NO. DL—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1999 (श्रावण 9 1921)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1999 (SRAVANA 9, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

लोक ऋण कार्यालय

मुम्बई–400001, दिनांक 1 जुलाई 1999

स० लो० ऋ० का/20.14.02/औद्योगिक वित्त निगम बांड––औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15वां) के खण्ड 43 के अन्तर्गत बनाई गई औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 30 जून 1999 को समाप्त हुए छः माहों के लिये गुम हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही है, जिनके सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए आधार है कि ये बांड खो गए हैं और आवेदकों के दावे न्याय संगत हैं। जिन दावेदारों के नाम नीचे दिये गये हैं, उनसे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना हो, तो वो मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, मुम्बई–400001 से तत्काल सम्पर्क करें। यह सूची दो भागों में विभाजित की गई है, भाग क उन प्रतिभूतियों की सूची है, जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग ख उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है।

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०	निम्नलिखित के नाम जारी	निम्नलिखित दिनांक से ब्याज देय	चुकौती मूल्य के भुगतान/डुप्लीकेट जारी करने और उपचितब्याज के भुगतान के लिये दावेदारों के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया
1	2	3	4	5	6	7
सूची क—7.25 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 1997						
1. बी वाई—000908—910 (3 × 1,00,000/-)	3,00,000/—	ए एन जैड ग्रिंडलेज बैंक	29—9—1995	मधूर कैपिटल और फाइनेन्स लि० अहमदाबाद	मामला सं० 20.042075 महा प्रबन्धक के दिनांक 03—03—1999 के आदेश तथा उसी दिनांक की केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 718	—
सूची ख—13 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 2008 (64 वी श्रृंखला)						
बी वाई/000077, 82 (6 × 10 10,00,000/—)	60,00,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	28—1—1996	न्यासी, भारत पैट्रोलियम निगम लि० की उपदान निधि	मामला सं० 20.04.2034, महाप्रबन्धक के दिनांक 8—1—98 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 404 दिनांक 12—1—98	14—2—98

ए० बी० तेलंग,
महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय निदेशक
मुख्य महाप्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 10 जुलाई 1999

सं० एस०बी०डी० क्र० 8/1999—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक डॉ० जगदीश सी० कल्ला के स्थान पर डॉ० राजा कुट्टी, ई—12, एन० आई० आर० डी० कैम्पस, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद- 500 030, को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 15 जुलाई, 1999 से 14 जुलाई 2002 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

जी० जी० वैद्य
अध्यक्ष

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय

कार्मिक प्रशासन (अधिकारी-कर्मचारी) प्रभाग
16, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट
कलकत्ता—700 001, दिनांक 6 जुलाई, 1999

सं० 1/99—यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से, आगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (1) इन विनियमों का नाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 है।

(2) इस विनियमों में दिए गए अन्यथा को छोड़कर, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को ये प्रभावी होंगे ।

2. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में, (क) विनियम 12 में, उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप विनियम अंतर्विष्ट होगा, जो इस प्रकार है :—

(4) किसी अधिकारी,—

(क) जिसने उप विनियम (1) में वर्णित विकल्प प्रयोग किया है; और

(ख) जिसे फरवरी, 1984 के प्रथम दिन के बाद भी, नियत तिथि से ठीक पहले तक उसे प्रयोज्य वेतन और भत्ते प्राप्त होते रहे; और

(ग) जो अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद बैंक की नियमित सेवा में है, को, इन विनियमों के अंतर्गत, अप्रैल 1997 के प्रथम दिन को और उस दिन से प्रयोज्य वेतन और भत्तों के लिए विकल्प देने की अनुमति दी जा सकती है; ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, उसका वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि विनियम 4 (2) में निर्धारित वेतन तथा उस पर दिनांक 1-4-1997 को देय महंगाई भत्ता, सभी मिलाकर उप विनियम (2) के अनुसार दिनांक 31-3-1997 को उसके वर्तमान वेतन (अर्थात् वेतन तथा महंगाई भत्ता) का निकटतम हो ।

(ख) विनियम 23 में,

(i) उप विनियम (iii) के बाद, निम्नोक्त परंतुक अंतर्विष्ट होगा, जो इस प्रकार है :—

"परंतु, अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और उस से इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे कि रु० 40 प्रति माह अथवा रु० 25/- प्रति माह" के अक्षरों, अंकों, और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "रु० 125/- प्रतिमाह अथवा रु० 100/- प्रतिमाह के अक्षर, अंक और शब्द स्थानापन्न किए गए है।"

(ii) उप विनियम (iv) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट होगा, जो इस प्रकार है :—

"परंतु अप्रैल 1997 के प्रथम दिन को और उस दिन से इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे कि "रु० 150/- प्रतिमाह" के अक्षरों और अंकों के स्थान पर "रु० 300/- प्रतिमाह" के अक्षर अंक और शब्द स्थानापन्न किए गए हैं।";

(iii) उप विनियम (v) में द्वितीय परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट होगा जो इस प्रकार है :—

"परंतु, अप्रैल 1997 के प्रथम दिन को और उस दिन से इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे कि —

(क) "रु० 700/- के अक्षरों और अंकों के स्थान पर "रु० 1000/-" के अक्षर और अंक स्थानापन्न किए गए हैं";

(ख) प्रथम और द्वितीय परंतुक के दोनों स्थानों पर आनेवाले "रु० 350/-" के अक्षरों और अंकों के स्थान पर "रु० 500/-" के क्रमशः अक्षर और अंक स्थानापन्न किए गए हैं";

(iv) उप विनियम (vii) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट होगा जो इस प्रकार है :—

"परंतु 1997-98 के वित्तीय वर्ष को और उस वर्ष से उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे कि रु० 150/- के अक्षरों और अंकों के स्थान पर "रु० 250/-" के अक्षर और अंक स्थानापन्न किए गए हैं" ;

(v) उप विनियम (viii) के बाद निम्नोक्त परंतुक अंतर्विष्ट होगा जो इस प्रकार है :—

"परंतु अप्रैल 1997 के प्रथम दिन को और उस दिन से इस उप विनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे कि "रु० 35 प्रतिमाह" के अक्षरों और अंकों के स्थान पर "रु० 70/- प्रतिमाह" के अक्षर शब्द और अंक स्थानापन्न किए गए हैं";

(ग) विनियम 32 में, उप विनियम (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट होगा जो इस प्रकार है :—

"परंतु वर्ष 1997 में या उसके परवर्ती किसी भी वर्ष में न ली गई आकस्मिक छुट्टी परवर्ती तीन वर्ष के भीतर ली जाने वाली अवकाश छुट्टी के साथ एक संग पहले या बाद में जोड़कर ली जा सकेगी ।";

(घ) विनियम 42 में,—

(i) उप विनियम 2 (i) में, "1-7-1993 को और उस दिन से" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1-7-1993 को और उस दिन से परंतु 1-4-1997 से पहले" शब्द और अंक होंगे;

(ii) उप विनियम 2 (i) के बाद, निम्नलिखित उप विनियम अंतर्विष्ट होगा जो इस प्रकार है :—

"2 (i) (क) अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और उस दिन से स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी द्वारा अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं तक उनके व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी :

वेतन सीमा	अधिकारी का परिवार हो, तो	अधिकारी का परिवार न हो तो
1	2	3
रु० 4250/– प्रति माह से रु० 6210/– प्रति माह तक	3000 कि० ग्रा०	1500 कि० ग्रा०
रु० 6211/– प्रति माह और उससे अधिक	पूरा माल भिजवा	2500 कि० ग्रा०

(III) उप विनियम (3) में, "1-1-1987 को और उस दिन से" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1–1–1987 को और उस दिन से, परंतु 1–4–1997 से पहले" शब्द और अंक होंगे;

(IV) उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप विनियम अंतर्विष्ट होगा :–

3 (क) "अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और उस दिन से स्थानांतरित अधिकारी अपने सामान की पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि व्ययों हेतु निम्ननुसार एकमुश्त राशि का पात्र होगा :—

ग्रेड	एकमुश्त राशि
वरिष्ठ प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन	रु० 5000/–
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु० 4000/–

पाद टीका : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है; द्रष्टव्य निम्नोक्त अधिसूचना सं० और दिनांक :

विनियम	अधिसूचना सं०	प्रकाशित तिथि
41	शून्य	17–12–88
22	एच०आर०डी०/पी०सी०आर० (पी)/3205/88, दिनांक 22–6–88	23–7–88
42	3/89–जी०एस०आर०, दि० 15–12–89	17–2–90
3,4,5,21,22,23,24,25, 34,35,41,42,45, और 46	4/90, दि० 16–8–90	10–11–90
21,22,24 और 33	1/91, दि० 19–7–91	3–8–91
23,41 और 44	एच० आर० डी०/पी०डी०आर० (पी०)/27/92, दि० 18–6–92	12–9–92
4,5,21,22,23,24,25,41, 42, 45 और 46	3/97, दि० 23–10–97	7–2–98

डी० के० भट्टाचार्य,
महाप्रबंधक (कार्मिक)

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया
नई दिल्ली–110002, दिनांक 8 जुलाई 1999
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

सं० 1–सी० ए० (7) 42/99––चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस विनियम 1988 के विनियम 159 (1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया की परिषद उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की शाखा की दिनांक 11 अप्रैल, 1999 से पटियाला में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की पटियाला शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, अन्यों के साथ-साथ, पटियाला नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे –

1. पटियाला
2. राजपुरा
3. नाभा
4. समाना
5. सरहिन्द

विनियम 159 (3) में विहित किए गए अनुसार, यह शाखा, परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

अशोक हुल्दिया
सचिव

दिनांक 23 जुलाई 1999
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

सं० 1–सी०ए०(7)/43/99 ––चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग II– के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया की परिषद एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इंस्टीट्यूट का कोई भी व्यावसायरत सदस्य उस दशा में व्यावसायिक अवचार का दोषी समझा जाएगा यदि वह या उसकी फर्म वाई 2 के अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने का वचन देता/देती है, जबकि ऐसा सदस्य या फर्म, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वाई 2 के अनुपालन हेतु कम्प्यूटर सिस्टम (प्रणाली) का रूपांकन तथा संपरिवर्तन करने का वचन देता/देती है।

स्पष्टीकरण :

इंस्टीट्यूट के व्यवसायरत सदस्य को किसी संस्था (एंटीटी) के लेखा-परीक्षा के साथ-साथ उस संस्था का वाई 2 के अनुपालन प्रमाणीकरण करने के लिये अनुज्ञात किया जाता है।

अशोक हुल्दिया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1999

सं० यू०–16/53/97–चि० 2(गुजरात)––कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम–105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25–4–1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा बड़ौदा केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिये, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये डा० (श्रीमती) के० एस० रजम की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

(डा०) (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

सं० यू०–16/53/99–चि० 2(गुजरात)––कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950, के विनियम–105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० (श्रीमती) ए० जे० पटेल, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर एक वर्ष की अवधि के लिये 13–4–99 से 12–4–2000 तक उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित दरियापुर केन्द्र, अहमदाबाद के क्षेत्रों के लिये बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती हूं।

(डा०) (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 24 जून 1999

सं० यू०–16/52/98–चि० 2(गुजरात)––कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम–105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25–4–51 की बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा

महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा भावनगर क्षेत्र तथा क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किये गये क्षेत्रों के लिये, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिये मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिये डा० पी० आर० झा की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

(डा०) (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

सं० यू०-16/53/94-चि०2 (राजस्थान)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा उदयपुर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिये मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए डा० ए० के० गुप्ता की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

(डा०) (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

सं० यू०-16/53/94-चि० 2--(राजस्थान)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा हनुमानगढ़ केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा० एस० के० शर्मा के सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

(डा०) (श्रीमती) सु० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड़, नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1999

फा० सं० सी० ए०-01-99—वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 45 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (च) और (छ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वास्तुकला परिषद, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद विनियम, 1982 में, जो भारत के राजपत्र (भाग III अनुभाग 4) में 2 अप्रैल, 1983 और 6 अप्रैल, 1991 को पहले प्रकाशित हो चुके हैं, और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :

1. (i) इन विनियमों को वास्तुकला परिषद (संशोधन) विनियम, 1999 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. वास्तुकला परिषद विनियमों के विनियम 23 में,—

(i) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(2) रजिस्ट्रार 60 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होगा।"

(ii) उप-विनियम (2) में, उसके वर्तमान परंतुक का लोप हो जाएगा।

3. वास्तुकला परिषद विनियमों के विनियम 24 में,—

(i) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(2) प्रशासनिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होगा।"

(ii) उप-विनियम (2) में, उसके वर्तमान परंतुक का लोप हो जाएगा।

4. वास्तुकला परिषद विनियमों के विनियम 25 में,—

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(1) अन्य सभी अधिकारी और कर्मचारी लिपिक वर्गीय तथा 'घ' स्टाफ सहित 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होंगे।"

ii) उप-विनियम (1) में, उसके वर्तमान पहले और दूसरे परन्तुकों का लोप हो जाएगा।

विनोद कुमार
रजिस्ट्रार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

14, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली-66, दिनांक 5 जुलाई 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आइ./भाग-4/2080—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ०फा०नं०
1.	मैं० ओनिडा सावक लि० जी०–2 बी–1, एक्सटेंशन मोहन को० आपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट मथुरा सूरी मार्ग, मथुरा रोड बदरपुर, नई दिल्ली–110044.	डीएल/12478	1–5–91 से 30–4–94 1–5–94 से 30–4–97 1–5–97 से 30–4–2000	3/101/99/डीएलआई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का पेश किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित

के. ए. त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/2087—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इससे संलग्न भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों को रखते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

क्रम सं० स्थापना का नाम और पता		कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०/भ०/नि०/आ० /की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० बिनेट कोलोमन एण्ड कम्पनी लि०, 1, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—110002 ।	डीएल/125	एस—35014/154/84—एम एस—4, दिनांक 19—12—84	18—12—87	19—12—87 से 18—12—90 19—12—90 से 18—12—93 19—12—93 से 18—12—96 19—12—96 से 18—12—99	2/1122/84/—डीएलआई

1	2	3	4	5	6	7
2.	मै० दि इण्डियन कोफी वर्क्स को-आप सोसायटी लि०, 2 यूबी बंगलो रोड, दिल्ली-110007 ।	डीएल/570	2/1959/डी एल आई/ एक्जम/89/भाग-2/2656 दिनांक 11-9-98	31-1-97	1-2-97 से 31-1-2000	2/2087/99
3.	मै० रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि०, ओखला नई दिल्ली-110020 ।	डीएल/682	29-1-91	17-9-91	18-9-91 से 17-9-94 18-9-94 से 17-9-97 18-9-97 से 17-9-2000	2/722/82
4.	मै० रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज, लि०, ओखला, नई दिल्ली-110020 ।	डीएल/1546	29-7-91	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96 1-3-96 से 28-2-99	2/722/82
5.	मै० स्टेट ट्रेडिंग कोर्प० आफ इण्डिया लि०, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई-दिल्ली-110001 ।	डीएल/791	5-11-98	31-3-99	1-4-99 से 31-3-2002	3/14/96
6.	मै० मोनिका इलैक्ट्रोनिक्स लि०, जीए/2, बी-1, एक्स-टेंशन मोहन को-आप० इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 ।	डीएल/5042	3-11-98	16-8-97	17-8-97 से 16-8-2000	2/1589/87
7.	मै० वेस्टफेलिया सेपरेटर इण्डिया (प्रा०) लि०, 201, कम्पीटेन्ट हाऊस, नंगलराया बिजनेस सेंटर, नई दिल्ली-110046 ।	डीएल/1352	2/1959/डीएलआई/ एक्जम/89/पीटी-1 दिनांक 3-3-99	31-8-98	1-9-98 से 31-8-2001	3/6/98

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्यक की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी को भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमे के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल न हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस के हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2100—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना के सामने है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, शिमला ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—2

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० पी० ए० टाइम्स इन्डस्ट्रीज (यूनिट—II) धर्मपुर, सोलन ।	एचपी/1571	1—6—98 से 31—5—2001	12/97/99/डीएलआई
2.	मै० चिनसम स्पिनर्स 1, इन्डस्ट्रीयल एरिया, बादली, सोलन, हिमाचल प्रदेश	एचपी/1592	1—10—98 से 30—9—2001	12/98/99
3.	मै० फोर्ज (इंडिया) प्रा० लि०, 60, सेक्टर—5, परवानू, सोलन, हिमाचल प्रदेश ।	एचपी/11555	1—3—92 से 28—2—95 1—3—95 से 28—2—98 1—3—98 से 28—2—2001	12/99/99
4.	मै० शिवालिक स्टील एण्ड एलाएस प्रा० लि०, कोटीवाला, सोलन, हिमाचल प्रदेश ।	एचपी/11699	1—11—98 से 31—10—2001	12/100/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-1/2110—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन को छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० नं०
1.	मै० सुपीरिअर क्राफ्ट सत्यम सिनेमा बिल्डिंग, प्लेट नगर नई दिल्ली–110008	डीएल/5166	1–3–95 से 28–2–98 1–3–98 से 28–2–2001	3/92/99/डीएलआई
2.	मै० एयर फोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003	डीएल/6125	1–7–87 से 30–6–90 1–7–90 से 30–6–93 1–7–93 से 30–6–96 1–7–96 से 30–6–99	3/21/98
3.	मै० कान्टीनेन्टल आटो सर्विसिज 13–ए, मोहन को० ओपरेटिव इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड़, नई दिल्ली–110044	डीएल/8482	1–11–88 से 31–10–91 1–11–91 से 31–10–94 1–11–94 से 31–10–97	3/46/98
4.	मै० सार्क सिनटेक लि० 207, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	डीएल/12415	1–1–96 से 31–12–98 1–1–99 से 31–12–2001	3/74/98

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख को भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमीयम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों को संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2120—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शिमला ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० शिवालिक बिमेटल कन्ट्रोल्स लि०, 17, न्यू इलैक्ट्रानिक कम्पलैक्स, चम्बाघाट, सोलन ।	एचपी/11588	1–10–93 से 30–9–96 1–10–96 से 30–9–99	12/95/99/डीएलआई
2.	मै० कोसमोफेरीटस लि०, जेबली, जिला सोलन, हि० प्र० ।	एचपी/11635	1–4–90 से 31–3–93 1–4–93 से 31–3–96 1–4–96 से 31–3–99	12/96/99
3.	मै० इन्डस्फिनिक्स प्रिसिशन लि०, प्लाट नं० 28, सेक्टर 5, परवानू, जिला सोलन, हि० प्र०–173220.	एचपी/11732	1–9–92 से 31–8–95 1–9–95 से 31–8–98 1–9–98 से 31–8–2001	12/8/98

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्धारित करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि वह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एस. आई./भाग-1/2129—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, शिमला ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० मगट्रोनिक डिवाइसिस प्रा० लि०, 20-ए, सेक्टर-11, इन्डस्ट्रीयल एरिया, परवानू, सोलन, हि० प्र०-173220, शाखों सहित ।	एचपी/11619	1-3-92 से 28-2-95 1-3-95 से 28-2-98	12/101/99/डीएलआई
2.	मै० मोरेपेन लैबोरेट्रीज लि०, विलेज मंसूलखाना परवानू, हिमाचल प्रदेश-173200, शाखों सहित ।	एचपी/11660	1-3-97 से 29-2-2000	12/102/99
3.	मै० हिमकारी इन्डस्ट्रीज लि०, प्लाट सं० 18, सेक्टर-1, परवानू, सोलन-173200.	एचपी/18649	1-3-96 से 28-2-99	12/103/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते हैं तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. ए. द्विवेदी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 7 जुलाई 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2145—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० चेरमगुडा टी फैक्टरी, कोलापल्ली (पी० ओ०) गुडालुर (टी०के०), निलग्रीस-643253.	टीएन/11584	1-1-93 से 31-12-95 1-1-96 से 31-12-98	14/605/99/डीएलआई
2.	मै० पाण्डियार टी डिविजन, गुडालुर, निलग्रीस तमिलनाडु (2 बी)	टीएन/21010	1-1-93 से 31-12-95 1-1-96 से 31-12-98	14/605/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक/वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. प. त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2152—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ०फा० नं०
1.	मै० इस्पात इंडस्ट्रीज लि०, ए–10/1, एम०आई०डी०सी० एरिया, कालमेश्वर–441501, नागपुर ।	एमएच/23989	1–8–98 से 31–7–2001	8/56/99/डीएलआई
2.	मै० पी० वी० टैक्सटाइल्स यूनिट नं० 1, राम मन्दिर वार्ड, हिंगणा घाट–जिला, वर्धा–442301.	एमएच/60859	1–7–98 से 30–6–2001	9/57/99
3.	मै० इलैक्ट्रानिक्स प्लास्टिकम मशीनरी प्रा० लि०, गैट नं० 399, हिस्सा नं० 1 एण्ड 2, केरेतल मुलसी, जिला पुणे–412111.	एमएच/31365	1–8–98 से 31–7–2001	9/54/99
4.	मै० कल्याणी मिल्स लि० गैट नं० 335, कुरुली गांव, चाकन, तहसील खेड, पुणे–410501.	एमएच/31780	1–12–96 से 30–11–99	9/1/98
5.	मै० इनोरा केयर आफ रेशकोब, 43/1, कार्वे मार्ग, पुणे–411038.	एमएच/32360	1–3–98 से 28–2–2001	9/55/99
6.	मै० इन्डो रामा सिन्थेटिक्स इंडिया लि०, ए–31, एम० आई० डी० सी० एरिया, बुटीबोरी, जिला नागपुर–441108.	एमएच/60870	6–11–98 से 5–11–2001	9/50/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्धारित करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी विधिक/वारिस नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी रीति से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. ए. त्रिवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 8 जुलाई 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2164—जिन्हें अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० सकीक सामील एण्ड कं० पी० बी० नं० 30, अम्बूर—635802 तथा शाखाएं	टी०एन०/वी०एल० 5766	1—3—97 से 29—2—2000	14/600/डी.एल.आई०/99
2.	मै० श्री विगनेश्वर इन्डस्ट्रिज 346, अवनाशी मार्ग, कोयम्बेटर—37.	टी०एन० /7364	1—1—88 से 28—2—90 यह स्थापना ई० डी०एल०आई० में परिवर्तित हो गई है। दिनांक—1—3—90 से	14/601/99

1	2	3	4	5
3.	मैं० श्री शंकरा विधासरमम मैट्रीकुलेशन हायर सैकण्डरी स्कूल नं० 1, साऊथ ऐवन्यू, कामराज नगर, थिरुवनमियूर, चैन्नई–600041	टी०एन०/15879ए 15879	1–9–98 से 31–8–20001	14/602/99
4.	मैं० गैनल क्रेडिट कार्पोरेशन लि०, 176, अन्ना सलाई पहली मंजिल कैम्पल टावर, नन्दानाम, चैन्नई–600035	टी०एन०/23907	1–12–91 से 30–11–97 1–12–97 से 30–11–2000	14/250/97
5.	मैं० सी०डी०सी० कार्बोलाईन (इंडिया) लि०, 357, सिडको इन्डस्ट्रियल स्टेट अम्बाटूर, चेन्नई–600093.	टी०एन०/26811	1–4–96 से 31–3–99	14/603/99
6.	मैं० आरचिड कैमिकल्स एण्ड फार्मासिटयूकल्स लि०, 1, छटी मंजिल, क्रायुन कोर्ट, 34, कातेड्राल मार्ग, चैन्नई–600086	टी०एन०/31386	1–1–95 से 31–12–97 1–1–98 से 31–12–2000	14/601/99
7.	मैं० अपोला हास्पिटल्स इन्टरप्राईजेज लि०, 21, ग्रेम्स लेन, आफ ग्रेम्स मार्ग, चैन्नई–600006 तथा शाखाएँ	टी०एन०/19540	1–9–98 से 31–8–20001	14/607/99
8.	मैं० दि श्री गणपति मिल्स क० लि०, बी. यूनिट, बाय पास मार्ग, विराधनगर–626001	टी०एन०/2737	1–4–91 से 31–3–94 1–4–94 से 31–3–97	14/130/95

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमीयम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

क. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/2176 —जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरला ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट प्रभावी की तिथि	के०भ०नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० अग्नि कैमिकल्स एण्ड कौसमैटिक्स पुमाला (पी०ओ०) मुलतान बेट्रीज बेयान्ड जिला	के०आर०/के०के० 17081	1-1-99 से 31-12-2001	8/131/99 डी० एल० आई०
2.	मै० केरल एग्रो मशीनरी कार्पोरेशन लि०, न्यू इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट एरिया मेननपारा मार्ग कान्जीकोड पो० आ० पालाकाल-678621	के०आर०/के०के० 14315	1-9-98 से 31-8-2001	8/132/99
3.	मै० दुर्गा एक्सपोर्टस 483, सी, धर्मशाला पो० ओ० कानुल जिला-670564	के०आर०/के०के० 14680	1-3-98 से 28-2-2001	8/133/99
4.	मै० आशिक्यू इन्टरप्राईजेज अन्नी हाल क्रास मार्ग, खोजीकोड-2	के०आर०/के०के० 14591	1-1-99 से 31-12-2001	8/134/99
5.	मै० आशिक्यू एक्सपोर्टस प्रा० लि०, पुमाला, सुल्तान बेट्रीज बेहान्ड जिला केरल ।	के०आर०/के०के० 17082	1-1-99 से 31-12-2001	8/135/99
6.	मै० केरल एग्रों मशीनरी कार्पोरेशन लि०, इन्डस्ट्रियल डवलमेंट प्लोट साऊथ, कालामश्वरी-683109 इरनाकुलम जिला	के०आर०/के०के० 4941	1-9-98 से 31-8-2001	8/136/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो उक्त स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. ए. त्रिवेदी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्ज./89/भाग-2/2190—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट की समाप्ति तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ०नि०आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० जी०के०डी० टेक्सटाइल्स, कोयाकालमण्डायम कोयम्बेटूर—641032।	टी०एन०/ 240—ए	एस—35014(20) 82-पीएफ—11 दिनांक—5—3—83	4—3—86	5—3—86 से 4—3—89 5—3—89 से 4—3—92 5—3—92 से 4—3—95 5—3—95 से 4—3—98 5—3—98 से 4—3—2001	2/598/88/डी० एल०आई०
2.	मै० प्रिमियर मिल्स लि०, पो०बी० नं० 3766, 186, ए०आर०ई०डी० स्ट्रीट, कोयम्बेटूर—18।	टी०एन०/ 240बी	5—3—83	4—3—86	5—3—86 से 4—3—89 5—3—89 से 4—3—92 5—3—92 से 4—3—95 5—3—95 से 4—3—98 5—3—98 से 4—3—2001	2/599/88
3	मै० के० त्रिवया ट्रान्सपोर्ट, 249/3, मिनाक्षी नगर, विलापुरम मदुरै—625012	टी०एन०/ 955	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/89/पी० टी—1 दिनांक 29—1—90	30—11—94	1—12—94 से 30—11—97 1—12—97 से 30—11—2000	14/164/ 96/डी०एल० आई०।
4.	मै० श्री राम फाईबर्स लि०, मनाली इन्डस्ट्रियल स्टेट, चेन्नई, तथा शाखाएं।	टी०एन०/ 9927	24—3—93	22—4—92	23—4—92 से 31—3—95	2/881/86

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधि-नियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई है तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. दिवाकरन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 7 जुलाई 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3138—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ० नि० आ०फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० फिनार इंजीनियर्स प्रा० लि०, मुक्ति चेम्बर्स 4, डा० राजेन्द्र प्रसाद सरानी, कलकत्ता–1	डब्ल्यू०बी०/36025	1–12–97 से 30–11–2000	16/43/ डी०एल०आई०
2.	मै० एम० पी० जौनर्स एण्ड कं० 1, विवेकानन्द मार्ग, कलकत्ता–200007.	डब्ल्यू०बी०/ 28165	1–12–98 से 30–11–2001	16/64/99 एल० आई०

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभ उन लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. प. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
MUMBAI 1

Notification No. PDO20-14-02/I.F.C. Bonds, dated 1st july 1999

In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds) Regulations 1949, framed under Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948), the following list for the half year ended 30th june 1999 of I.F.C.I. Bonds lost etc., in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicant is just, is hereby published. All persons, other than the relative claimants named below, who have any claim upon these Bonds should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India' Public Debt Office, Mumbai 400001. This list is deivided into two parts, part 'A' being the list of securities advertised for the first time and part 'B' the list of securities previously advertised.

S. No.	Bond No.	Value In Rs.	In whose name issued	From what Date Bearing interest	Name(s) of the claimant(s) For payment of discharge Value/issue of duplicates and payment of accrued interest	No. and date Of orders issued	Date of publication of the list, in which the security was first published
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			List A—7.25% IFCI Bonds 1997				
1.	BY 000908-910	3,00,000/- (3x1,00,000/-)	ANZ Grindlays Bank	29-9-1995	Madhur Capital and Finance Ltd. Ahmedabad	Case No. 20-04. 2050 General Manager's orders dated 3-3-1999. C.O. Diary No 718 of date.	—
			List B—13% I.F.C. I. Bonds 2008 (64th Srs.)				
1.	BY 000077-BY 000082 (6x10,00,000/-)	60,00,000/-	Reserve Bank of India	28-1-1996	Trustees, Gratuity Fund of Bharat Petroleum Corporation Ltd.	Case No. 20.04.2034 General Manager's orders dated 8th january 1998. C.O. Diary No. 404 dated 12th january 1998.	14-2-1998

A.B. TELANG
Regional Director for Maharashtra & Goa/Chief Gen. Manager.

STATE BANK OF INDIA
(CENTRAL OFFICE)

Mumbai, the 10th July 1999

SBD No. 8/1999.—It is hereby notified for general information that in pursuance of Clause (d) of Sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Dr. Raja Kutty, E-12, NIRD Campus, Rajendra Nagar, Hyderabad-500 030, as a director on the Board of Directors of State Bank of Hyderabad for a period of three years wtih effect from 15th July 1999 to 14th July 2002 (both days inclusive) in place of Dr. Jagdeesh C. Kalla.

G. G. VAIDYA
Chairman

UNITED BANK OF INDIA
(HEAD OFFICE)

Calcutta-700001, the 6th July 1999

No. 1/99.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of the United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend United Bank of India, (Officers') Service Regulations, 1979.

1. (1) These regulations may be called the United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1999.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979,

(a) in regulation 12, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

(4) any officer,—

(a) who had exercised option referred to in sub-regulation (1);

(b) who continued even after the first day of February, 1984 to draw pay and allowances aplicable to him immediately before the appointed date; and

(c) who continues in regular service of the Bank on or after the first day of April, 1997,

may be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from the first day of April, 1997. On exercising such option, he will be fitted on the pay in such a manner that the pay as set out in Regulation 4(2) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 1-4-1997 is nearest to his existing salary (i.e. pay plus dearness allowance) being drawn in terms of sub-regulation (2) on 31-3-1997.

(b) in regulation 23,

(i) after sub-regulation (iii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of april, 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 40 p.m. or Rs. 25 p.m.", the letters, figures and words "Rs. 125 per month or Rs. 100 per month" had been respectively substituted.';

(ii) after sub-regulation (iv), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150 p.m.", the letters, figures and words "Rs. 300 per month" had been substituted.';

(iii) in sub-regulation (v), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if,—

(A) for the letters and figures "Rs. 700", the letters and figures "Rs. 1000" had been substituted;

(B) for the letters and figures "Rs. 350" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures "Rs. 500" had been respectively substituted';

(iv) after sub-regulation (vii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the financial year 1997-98, the provisions of the sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150" the letters and figures "Rs. 250" had been substituted';

(v) after sub-regulation (viii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first Day of April 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 35 p.m.", the letters, words and figures "Rs. 70 per month" had been substituted';

(c) in regulation 32, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that Casual Leave not availed of in the year 1997 or in any subsequent year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following three years.";

(d) in regulation 42,—

(i) in sub-regulation 2(i), for the words and figures "on and from 1-7-1993", the words and figures "On and from 1-7-1993 but before 1-4-1997" shall be substituted;

(ii) after sub-regulation 2(i), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"2(i) (a) On and from the first day of April, 1997, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limts ;

Pay Rank	Where an Officer has family	Where an Officer has no family
Rs. 4250 per month to Rs. 6210 per month	3000 Kgs.	1500 kgs.
Rs. 6211 per month and above	Full wagon	2500 kgs.

(iii) in sub-regulaton (3), for the words and figures "On and from 1-1-1987", the words and figures "On and from 1-1-1987 but before 1-4-1997" shall be substituted;

(iv) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted :—

3(a) "On and from the first day of April 1997 an officer on transfer will be eligible to draw a lump-sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc :—

Grade	Lump sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 5000
Middle management and junior Management	Rs. 4000"

Foot Notes : The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of India.

vide Notifications No. with dates as under :-

Regulation	Notification No.	Date of Publication
41	Nil	17-12-88
22	HRD/PCR (P)/3205/88 dt. 22-6-88	23-07-88
42	3/89—GSR dt. 15-12-89	17-02-90
3,4,5,21,22,23,24, 25, 34, 35, 41, 42, 45 & 46	4/90 dt. 16-08-90	10-11-90
21,22,24, & 33	1/91 dt. 19-7-91	03-08-91
23,41,& 44	HRD/PCR (P)/27/92 dt. 18-6-92	12-09-92
4,5, 21,22,23, 24 25, 41, 42, 45 & 46	3/97 dated 23-10-97	07-02-98

D. K. Bhattacharya
General Manager (Personnel)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 8th July 1999

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)42/99.—In pursuance of Regulation 159 (1) of the Chartered Accounts Regulations 1988 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Northern India Regional Council at Patiala with effect from 11th April, 1999.

The Branch shall be known as Patiala Branch of the Northern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, inter-alia, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from Patiala City :

1. Patiala
2. Rajpura
3. Nabha
4. Somana
5. Sirhind

As prescribed under Regulation 159 (3), the Bench shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Northern India Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

ASHOK HALDIA
Secy.

New Delhi, the 23rd July 1999

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/43/99.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Part-II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby specifies that a member of the Institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he or his firm undertakes issuance of Y2K compliance certificate while the member or the firm undertakes, whether directly or indirectly, the designing and conversion of the computer system for Y2K compliance.

Explanation :

A member of the Institute in practice is permitted to carry out Y2K compliance certification of an entity alongwith the audit of the same entity.

ASHOK HALDIA
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 30th March 1999

No. U-16/53/97-Med. II (Guj.).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) K. S. Rajam to function as Medical Authority for Baroda centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date she resumes charge or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Meidcal Commissioner

The 30th March 1999

No. U-16/53/99-Med.II (Guj).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation. 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) A. J. Patel, PTMR to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for a period of one i.e. from 13-4-99 to 12-4-2000 for Dariapur Centre, Ahmedabad for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the Insured Persons and grant to further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Meidcal Commissioner

The 24th June 1999

No. U-16/52/98-Med.II (Guj.).—In pursuance of the the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. P. R. Jha to function as Medical Authority for Bhavnagar centre for the period of one year at a monthly remuneration

in accordance with the norms w.e.f. the date he resumes charge or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Meidcal Commissioner

The 24th June 1999

No. U-16/53/94-Med.II(Raj.).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. A. K. Gupta to function as Medical Authority for Udaipur centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date he resumes charge or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Meidcal Commissioner

No. U-16/53/94-Med.II (Raj).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. S. K. Sharma to function as Medical Authority for Hanumangarh centre for the period of one year at a monthly remmuneration in accordance with the norms w.e.f. the date he resumes charge or till a full time Medical Refree joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Meidcal Commissioner

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

INDIA HABITAT CENTRE, CORE 6-A, 1ST FLOOR, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

New Delhi-110 003, the 12th July 1999

No. CA/01/99.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a), (b), (c), (d), (f) and (j) of sub-section (2) of Section 45 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Council of Architecture Regulations, 1982, the same having been previously published in the Gazette of India (Part III, Section 4) on the 2nd April, 1983 and the 6th April, 1991, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Council of Architecture (Amendment) Regulations, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Regulation 23 of the Council of Architecture Regulations,—

(i) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The Registrar shall retire from service on attaining the age of 60 years".

(ii) In the sub-regulation (2) the existing proviso thereof shall be omitted.

3. In Regulation 24 of the Council of Architecture Regulations,—

(i) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The Administrative Officer shall retire from service on attaining the age of 60 years"

(ii) In the sub-regulation (2), the existing proviso thereof shall be omitted.

4. In Regulation 25 of the Council of Architecture Regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) All other Officers and employees including Ministerial and Group D Staff, shall retire from service on attaining the age of 60 years".

(ii) In the sub-regulation (1), the existing first and second proviso thereof shall be omitted.

VINOD KUMAR
Registrar

PUNJAB WAKF BOARD AMBALA CANT.

Wakf/45/Gen./Gazette/(506)/99 :—In exercise of the power conferred under section 27 of Wakf Act which are exercisable by me under the delegated power by the Administrator, Punjab Wakf Board under 1995 Section 40 of the Wakf Act 1995, properties are hereby declared as sunni Wakf.

S. No.	Name of Wakf	Distt./ Tehsil	Village	Kh. No.	Area		Value in Rs.	Nature are object of Wakf	How the Wakf is Administered	Remarks
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Ks	Ms				
1.	Graveyared	Sangrur/ Malerkotla	Malerkotla	2729	1	17	50,000.00	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Sunni Wakf
				2543	9	11	3,00,000.00	Do.		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
2.	Peer Baba Ka Mazar	Solan/ Kasauli	Kasauli	Abadi	24 Sq.	17 ft.	10,000 .00	Religious	Under the manage- ment of Punjab Wakf	Sunani Wakf
3.	Graveyard	Do.	Bhali	49	B	B			Board, Ambala Cantt.	
					5	18	1,00,000 .00	Do.	Do.	Do.
4.	Mosque	Do.	Dharampur /Bhathal	174/1	0	10	1,00,000 .00	Do.	Do.	Do.
5.	graveyard	Do.	Do.	2	K	M				
					4	—	80,000 .00	Do.	Do.	Do.
6.	Do.	Gurgaon/ Nuh	Nuh	30//28	2	5	10,000 .00	Do.	Do.	Do.
				97	4	9	22,000 .00	Do.	Do.	Do.
7.	Do.	Punchkula/ Punchkula	Raipur Rani (6)	22//6/2/ 2	1	14	28,00,000 .00			
				7/1	3	00				
				8/3	1	7				
				13	8	00				
				14/1/2	6	11				
				18/2	7	16				
				19/2	0	16				
				17/2/2	1	9				
				22/2	3	12				
				23/1/2	4	0				
				19//1/1	2	19				
				19/11/2	3	18				
				22/1	4	00				
				35//1/2	4	00				
				2//2/2	2	06				
					55	8				
					B	B				
8.	Do.	Solan/Solan	Dagshai	28	1	12	50,000,00	Do.	Do.	Do.
9.	Musafar Khana	Solan/ Kanda Ghat	Dhagota	119	0	2	20,000 .00	Do.	Do.	Do.
10.	Graveyard	Solan/ Kanda Ghat	Chawan	164	2	8	50,000 .00	Do.	Do.	Do.
11.	Do.	Solan/Solan	Jaipur	60/25	0	8	10,000 .00	Do.	Do.	Do.
12.	Mosque Sofian	Solan/Solan	Khalwa	72/37	K 2	M 3	40,000 .00	Do.	Do.	Do.
13.	Graveyard	Do.	Jagotta	210/147	8	17	2,00,000 .00	Do.	Do.	Do.
14.	Khankah	Kangra/ Palampur	Muhel Bari	74 Old	0	7	5,000 .00	Do.	Do.	Do
			Muza Daroh	146 New						
15.	Graveyard	Gurdaspur/ Gurdaspur	Gurdaspur (337)	101/1	6	3	20,00,000 .00	Do.	Do.	Do.
				101/2	15	7				
				101/3	8	18				
				101/7	17	10				
				101/4/2	4	7				
				101/8	1	0				
				101/9	1	10				
					54	15				
16.	Do.	Gurgaon/ Sohna	Tenther	48	17	2	1,00,000 .00	Do.	Do.	Do.
17.	Do.	Amritsar/ Taran Taran	Pandor Hasan (46)	244/1	0	8	1,00,000 .00	Do.	Do.	Do.
				244/4	1	0				
				244	0	16				
				244/3	0	17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					K	M			
18.	Graveyard	Gurdaspur/ Batala	Batala Sharki	211	22	15		Religious	Under the management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.
	Do			21	3	7			
	Do.			185/4	0	11			
				207	4	18	50,00,000 .00		
	Do.			53/46	4	03			Sunni Wakf
	Do.			65/23/2	5	10			Shia Wakf
	Do.			86/3	7	12			
	Do.			65/25/2	5	00			
	Do.			86/14/1	5	14			
	Do.			5	8	00			
	Do.			6/1	1	7			
19.	Imam Bara			65/25/22	5	00			
	Do.			86/14/1	5	14			
	Do.			5	8	00			
	Do.			6/1	1	7			
20.	Masjid and Khanqah			25/18/1	0	16			Sunni Wakf
				19/2	1	12			
	Do.			22/2	3	1			
	Do.			23	4	12			
	Do.			27/3/1	2	13			
	Do.			19/6/1	1	16			
	Do.			7	8	00			
	Do.			14	8	0			
	Do.			17	4	13			
	Do.			28	0	11			
					104	11			
21.	Graveyard	Do.	Batala Garbi (211)	81/31R	5	16	50,00,000 .00		
				94/36	7	18			
				79/27	8	03			
				7/17/	2	06			
				6/16/2	1	19			
				7/18/1/2	0	17			
				23/2	2	4			
				1131	12	9			
				74/31 R	0	8			
				41	1	11			
				76/29	0	4			
				1909	4	15			
				1910/2	0	2			
				7/24	9	14			
				56	11	9			
22.	Idgah	Kurukshetra /Pehwa	Gumthala (39)	316	2	0	5,000 .00	Religious	
23.	Graveyard	Do.	Jalbehra	582	4	16	1,20,000 .00	Do.	
24.	Naugaza Peer Khana	Kurukshetra /Thanewar	Dhurala (404)	73/26	15	12	3,90,000 .00		
25.	Khanqah Lalanwala	Do.	Do.	73/28	4	0	1,00,000 .00		
					B	B			
26.	Takia Heejio Wala	Yamuna-nagar/ Jagadhari Old Distt. Karnal/ Thanesar	Radoor (45)	489	5	3	2,00,000 .00		

Note:

1. Sr. No 1, 3, 5, to 8, 10, 11, 13, 19 to 17 are graveyard according to jamabandi 1944-45, 1959-61, 1968-69 field book 1964-65 and Jamabandi 1986-87, 1992-93, 1990-91, 1986-87, 1950-51, 1989-90, 1994-95, 1992-93, 1942-43.
2. Sr. No. 07 Peer Baba Ka Mazar site Plan according khasra girdawari
3. S. No. 4, 12 Mosques according to jamabandi 1965-66
4. S. No. 9 Musafar Khana according to jamabandi 1996-67
5. S. No. 14 Khanqah according to the jamabandi 1993-94
6. S. No. 18 graveyard according to the jamabandi 1993-94.
7. S. No. 19 Imam Bara according to the jamabandi.
8. S. No. 20 Mosque and Khanqah according to the jamabandi 1994-95.
9. S. No. 21 Graveyard according to the jamabandi 1994-95, 1993-94.
10. S. No. 22 Idgah according to the jamabandi 1996-97.
11. S. No. 23 Graveyard according to the jamabandi 1996-97.
12. S. No. 24 Naugazapeer according to the jamabandi 1996-97.
13. S. No. 25 Keanqah Lalanwala according to the jamabandi 1996-97.
14. S. No. 26 Takia Heejran according to the jamabandi 1944-45.

M.K. KHAN
Chief Executive Officer
Punjab Wakf Board
AMBALA CANTT.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

14, BHIKAIJI CAMA PLACE,

New Delhi-110066, the 5th July 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2080.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2 (A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Delhi from the operation of the saaid Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE 1

Sl. No.	Name & address of the Establishment	Code No.	Period for Exemption	C.P.F.C's file No.
1.	M/s Onida Savak Ltd., GA-2, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Sher Shah Suri Marg, Mathura Road, Badarpur, New Delhi-110044.	DL/12478	1-5-91 to 30-4-94 & 1-5-94 to 30-4-97 & 1-5-97 to 30-4-2000	3/101/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employee under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within, one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/2087.—WHEREAS the the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annxed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P. F. C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Bennett Colomen & Co. Ltd, 2, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.	DL/125	S-35014/154/84-SS IV, dated 19-12-1984	18-12-1987	19-12-1987 to 18-12-1990 & 19-12-1990 to 18-12-1993 & 19-12-1993 to 18-12-1996 & 19-12-1996 to 18-12-1999	2/1122/84/DLI
2.	M/s. The Indian Coffee Workers Co-op. Society Ltd., 2, U.B. Bunglow Road, Delhi-110007.	DL/570	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt-II/2656 dt. 11-09-1998	31-01-1997	01-02-1997 to 31-01-2000	2/2087/89/DLI
3.	M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd, Okhla, New Delhi-110020.	DL/682	—do— 29-07-1991	17-09-1991	18-09-1991 to 17-09-1994 & 18-09-1994 to 17-09-1997 & 18-09-1997 to 17-09-2000	2/722/82/DLI
4.	M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd., Okhla, New Delhi-110020.	DL/1546	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt.-II dt. 29-07-1991	28-02-1993	01-03-1993 to 29-02-1996 & 1-03-96 to 28-02-1999	2/722/DLI/82

1	2	3	4	5	6	7
5.	M/s.State Trading Corporation of India Ltd., Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001.	DL/791	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt.-II, dt. 05-11-1998	31-03-1999	01-04-1999 to 31-03-2002	3/14/96/DLI
6.	M/s. Monica Electronics Ltd., GA/2, B-I Extension, Mohan Co-op. Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-44.	DL/5042	—do— dt. 03- 1-1998	16 08-1997	17-08-1997 to 16-08-2000	2/1589/87/DLI
7.	M/s. West Falia Seperator India (P) Ltd., 201, Competent House, 7, Nangal Raya Business Centre, New Delhi-110046.	DL/13526	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt.-I, dt. 03-03-1999	31-08-1998	01-09-1998 to 31-08-2001	3/6/98/DLI.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member enttiled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2100.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2 (A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Shimla from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I SCHEDULED-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's File No.
1.	M/s P.A. Times Industries (Unit-II) Dharampur, Solan.	HP/1571	1-6-98 to 31-5-2001	12/97/99/DLI
2.	M/s Winsom Spinners, I, Industrial Area, Badli, Solan H.P	HP/1592	1-10-98 to 30-9-2001	12/98/99/DLI
3.	M/s Forge (India) Pvt. Ltd., 60, Sec.5, Parvanoo, Solan, H.P.	HP/11555	1-3-92 to 28-2-95 1-3-95 to 28-2-98 1-3-98 to 28-2-2001.	12/99/DLI/99
4.	M/s Shivalik Steel and Alloys Pvt. Ltd., Brotiwala Solan, H.P.	HP/11699	1-11-98 to 31-10-2001	12/100/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal hear(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2110.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(B) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years

SCHEDULE-I

S.No.	Name and Address of the Estabilshment	Code No.	Effective Date of of Exemption	C. P. F. C.'s File No.
1.	M/s Superior craft, Satyam Cinema Building Patel Nagar, New Delhi-110008.	DL/5166	01-03-95 to 28-02-98 01-03-98 to 28-02-2001	3/92/99/DLI
2.	M/s Air Force Bal Bharti School, Lodhi Road, New Delhi-110003.	DI/6125	01-07-87 to 30-06-90 01-07-90 to 30-06-93 01-07-93 to 30-06-96 01-07-96 to 30-06-99	3/21/98/DLI
3	M/s Continental Auto Service 13-A Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.	DL/8432	01-11-88 to 31-10-91 01-11-91 to 31-10-94 01-11-94 to 31-10-97 01-01-96	3/46/98/DLI 3/74/98/DLI
4.	M/s Sark Synertek Ltd., 207, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place-110019	DL/2415	31-12-98 01-01-99 31-12-2001	

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89 Pt. I/2120.—WHEREAS the Employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Shimla from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.s File No.
1.	M/s Shivalik Bimetal Controls Ltd., 16-17, New Electronic Complex, Chamba Ghat, Solan	HP/11588	1-10-93 to 30-9-96 1-10-96 to 30-9-99	12/95/99/DLI
2.	M/s Cosmo Ferrites Ltd., Jabli, Distt. Solan, H.P.	HP/11635	1-4-90 31-3-93 1-4-93 to 31-3-96 1-4-96 to 31-3-99	12/96/93/DLI
3.	M/s Ind-Sphinx Precision Ltd., Plot No. 28, Sector-5, Parwanoo, H. P. 173220	HP/11732	1-9-92 to 31-8-95 1-9-95 to 31-8-98 1-9-98 to 31-8-2001	12/8/98/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/2129.—WHEREAS the Employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Shimla from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s Magtronics Devices Pvt. Ltd., 20-A, Sec II, Industrial Area, Parwanoo, Solan H. P.-173220 (Alongwith its branches)	HP/11619	1-3-92 to 28-2-95 1-3-95 to 28-2-98	12/10/99/DLI
2.	M/s Morepen Laboratories Ltd., Village Masulkhana Parwanoo (H. P) (alongwith 173200 its branches)	HP/11650	1-3-97 to 29-2-2000	12/102/99/DLI
3.	M/s Hitkari Industries Ltd., Plot No. 18, Sector-I, Parwanoo, Solan-173200	HP/18049	1-3-96 to 28-2-99	12/103/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduce in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

The 7th July 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/PLI/2145.—WHEREAS, the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(B) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Coimbatore from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No	Period for Exemption	C.P.F.'C.s File No.
1.	M/s Chorangoda Tea Factory, Kolapalli (PO) Gudalur (TK) Nilgiris-643253 17(2B)	TN/11584	1-1-93 to 31-12-95 1-1-96 to 31-12-98	14/605/99/DLI
2.	M/s Pandiar Tea Division, Gudalur, Nilgiris, Tamilnadu (2B)	TN/21010	1-1-93 to 31-12-95 1-1-96 to 31-12-98	14/605/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees that the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therafore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be laible to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No 2/1059/DLI/Exemp./89/Pt. I/2152.—WHEREAS the employees of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name and Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C. File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Ispat Industries Ltd., A-10/1, M.I.D.C., Kalmeshwar, 4410501, Nagpur.	Mh/23989	01-08-98 to 31-07-2001	9(56)/99/DLI
2.	M/s. Peevee Textiles Unit No. 1, Ram Mandir Ward, Hinganghat, Distt. Wardha-442301.	Mh/60859	01-07-98 to 30-06-2001	9(57)/99/DLI
3.	M/s. Electronics Plastics Machines Pvt. Ltd., Gate No. 399, Hissa No. 182, Bhere Tal Mulshi Distt., Pune-412111.	MH/31365	01-08-98 to 31-07-2001	9(54)/99/DLI
4.	M/s. Kahani Lemmerz Ltd., Gate No. 635, Kuruli Vill.,Chakan Tal Khed, Pune-4105 1.	MH/31780	01-12-96 to 30-11-99	9(1)98/DLI/MH
5.	M/s. Inora c/o Rescon 43/1 Karve Road, Pune-411038.	MH/32360	01-03-98 to 28-02-2001	9(55)99/DLI
6.	M/s. Indo Rama Synthetics (I) Ltd. A-31, M. .D.C. Area Butibori Distt., Nagpur-441108.	MH/60870	06-11-98 to 05-11-2001	9(56)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Therefor any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp.89/Pt. I/2164.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Period for Exemption	CPFC's file No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Shafeeq Shimmel & Co., Post Box No. 30, Ambur-635802, (alongwith its branches)	TN/VL/5766	1-3-97 to 29-02-2000	14/600/99/DLI
2.	M/s. Sri Vigneswar Industries, 346 Avanashi Road, Coimbatore-37.	TN/7364	01-01-88 to 28-02-90 (Switchover the EDLI Scheme 1-3-90 onwards)	14/601/DLI/99
3.	M/s. Sri Sankara Vidyashramam Matriculation/Higher Secondary School. No. 1, South Avenue Kamraj Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600041.	TN/15879A	01-09-98 to 31-08-2001	14/602/DLI/99
4.	M/s. Apple Credit Corporation Ltd., 476, Anna Salai, Ist Floor, Kemple Towr Nandanam, Chennai-600035.	TN/23907	01-12-94 to 30-11-97 1-1 -97 to 30-11-2000	14/250/DLI/99
5.	M/s. C. D. C. Carboline (India) Ltd., 357 SIDCO Industrial Estate, Ambathur, Chennai-600093.	TN/26811	01-04-96 to 31-03-99	14/603/DLI/99
6.	M/s. Orahid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., 1, 6th Floor, Crown Court, 34, Cathedral Road, Chennai-600086.	TN/31386	01-01-95 to 31-12-97 01-01-98 to 31-12-2000	14/604/DLI/99
7.	M/s. Appolo Hospitals Enterprises Ltd., 21 Greams Road Chennai-600006. (alongwith its branches)	TN/19540	01-09-98 to 31-08-2001	14/607/DLI/99
8.	M/s. The Sri Ganapathy Mills Co. Ltd., B. Unit, Bye Pass Road, Virudhunagar-626001.	TN/273A	01-04-91 to 31-03-94 01-04-94 to 31-03-97	14/130/DLI/95

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything containd in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the saiad establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/2178.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name and Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C. File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. AGHIN Chemicals and Cosmetics Poomala (P. O.) Sulthan Bathary Wayand Distt.	KR/KK-17081 I	01-01-99 to 31-12-2001	8/131/99/EDLI
2.	M/s. Kerala AGRO Machinery Corporation Ltd., New Industrial Development Area, Menonpara Road, Kunjikode P. O Palakkad-678621	KR/KK14315	01-09-98 to 31-08-2001	8/132/99/EDLI

1	2	3	4	5
3.	M/s. Durga Exports, 483 C, Dharmasala P. O. Kanul, Kannur Distt-670564.	KR/KK/14680	01-03-98 to 28-02-2001	8/133/99/EDLI
4.	M/s Ashique Enterprise Annia Hall, Cross Road, KozhiKoli-2	KR/KK/14591f	01-10-99 to 31-12-2001	8/134/99/EDLI
5.	M/s Ashique Exports (P) Ltd., Poomala, Sulthan Bathery, Wynad Dist, Kerala	KR/KK/17082	01-01-99 to 31-12-2001	8/135/99/EDLI
6.	M/s Kerala Agro Machinery Corporation Ltd., Industrial Development Plot, South Kalamassery-683109, Kermkulam Distt.	KR/KK/4941	01-09-98 to 31-08-2001	8/136/99/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts & provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2190.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefor, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & address of the Establishments	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C. File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. GKD Textiles, Othakkalmandapam, Coimbatore-641032	TN/240-A	3-35014 (20) 82 Pt.-II, dt. 05-03-1983	04-03-1986	05-03-1986 to 04-03-1989 05-03-1989 to 04-03-1992 05-03-1992 to 04-03-1995 05-03-1995 to 04-03-1998 05-03-1998 to 04-03-2001	2/5998/81/DLI
2.	M/s. Premier Mills Ltd., P. B. No. 3766, 186 AID Street, Coimbatore-18.	TN/240-B	—do—	04-03-1986	05-03-1986 to 04-03-1989 05-03-1989 to 04-03-1992 05-03-1992 to 04-03-1995 05-03-1995 to 04-03-1998 05-03-1998 to 04-03-2001	—do—
3.	M/s. K. Divya Transport, 249/3, Meenakshi Nagar, Villapuram, Madurai-625012.	TN/955-L	2/1954/DLI/Exem./89/ Pt.-I dt. 29-01-1990	30-11-1994	01-12-1994 to 30-11-1997 01-12-1997 to 30-11-2000	14(164)96/DLI
4.	M/s. Sri Ram Fibres Ltd., Manali Industrial Estate, Chennai. (alongwith its branches)	TN/9927	—do— dt. 24-03-1992	22-04-1992	23-04-1992 to 31-03-1995	2/881/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act. within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees', his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

The 7th July 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3138.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name and Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P.F.C.	File No.
1	2	3	4	5	
1.	M/s Filare Engineers (P) Ltd., 505, Mukti Chambers, 4, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Calcutta-1.	WB/36025	01-12-97 to 30-11-2000	16/43)/DLI/WB	
2.	M/s M P. Jewellers and Co., 1, Vivekanand Road, Calcutta-700007.	WB/28165	01-12-98 30-11-2001	16/(64)99/DLI	

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999